सशक्त पंचायत सतत् विकास

unicef for every child

मध्यप्रदेश पंचायत स्थानीय स्व शासन

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

बाल सभा और बाल पंचायत
के संस्थागत स्वरूप हेतु दिशानिर्देश

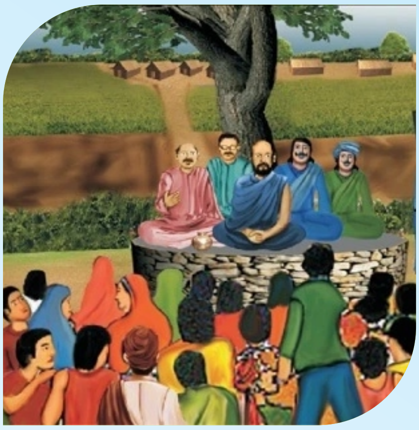

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

unicef

सशक्त पंचायत, सतत् विकास

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

बाल-बालिका सभा और बाल-बालिका पंचायत के संस्थागत स्वरूप हेतु दिशानिर्देश

unicef

बाल मैत्री पंचायतों का विज़न

ऐसी पंचायतें जहां बालक, बालिकाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाकर बाल सभा के आयोजन, स्कूलों में शत प्रतिशत नामांकन, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम से मुक्ति तथा बच्चों को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास तथा सेवाओं की उपलब्धता हो।

प्रदेश की अधिक से अधिक पंचायतों द्वारा बाल मैत्री पंचायतों का संकल्प लिया जाकर अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण किया जाये।

unicef

संदर्भ तालिका

	विषय	पृष्ठ सं.
01	परिचय	
02	बाल-बालिका सभाओं एवं बाल-बालिका पंचायतों को संस्थागत रूप देने के दिशा-निर्देश	
	• बाल-बालिका सभा एवं बाल-बालिका पंचायत • बाल-बालिका सभाओं और पंचायत के उद्देश्य • बाल-बालिका सभाओं के संचालन के तौर-तरीके • बच्चों के लिए धन का प्रावधान • बाल-बालिका पंचायत	
03	परिशिष्ट 1	
04	बाल-बालिका सभा के संचालन और बाल-बालिका पंचायत के गठन की रोल-आउट योजना ग्राम पंचायत स्तरीय	
05	परिशिष्ट 2 परामर्श सूची	

परिचय

सतत विकास के लक्ष्य (SDG) 'वैश्विक लक्ष्य' के रूप में जाने जाते है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भारत भी सतत विकास के 17 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। ग्राम पंचायत तक स्थानीय स्तर पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन लक्ष्यों को 9 थिमेटिक विषयो में समाहित किया गया है।

यह दिशा-निर्देश 'थीम 3-बाल-हितैषी गांव' के तहत स्थानीय कार्यवाही शुरू करने में मददगार रहेगी। आशा की जाती है कि इस मार्गदर्शिका को पंचायत अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ढाल सकेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए नौ व्यापक विषय:-

- थीम 01 गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव
- थीम 02 स्वस्थ गांव
- थीम 03 बाल हितैषी गांव
- थीम 04 जल पर्याप्त गांव
- थीम 05 गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
- थीम 06 स्वच्छ और हरित गांव
- थीम 07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव
- थीम 08 सुशासन वाला गांव
- थीम 09 महिला हितैषी गांव

बाल-बालिका सभाओं एवं बाल-बालिका पंचायतों को संस्थागत रूप देने के दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में 18 साल से छोटे प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। स्थानीय होने के नाते पंचायतों की इस काम में बड़ी भूमिका है। बच्चों को बढ़ने और मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में 'बाल-हितैषी पंचायत' सहायक हो सकती है। भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन के ग्यारहवें अनुच्छेद ने स्पष्ट रूपरेखा दी है कि पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों में महिला और बाल विकास भी एक विषय है। अगर सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी) की बात करें तो इनके 248 में से 44 एस.डी.जी संकेतकों (18 प्रतिशत) का सीधा वास्ता बच्चों से है।

थीम-3 : 'बाल-हितैषी ग्राम पंचायत' में एक ऐसी ग्राम पंचायत की परिकल्पना की गई है जो चार आधारों पर काम करके खुद को बाल-हितैषी गांव/पंचायत में बदल सकती है।

'बाल-हितैषी गांव' के चार स्तंभ

बच्चे जीते रहें

विकास

सुरक्षा

भागीदारी

'बाल-हितैषी गांव' बनने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए जमीनी प्रशासन, जी.पी.डी.पी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना अहम होगा। इसलिए, बाल-बालिका सभाओं और बाल-बालिका पंचायत को हकीकत में बदलना सबसे बढ़कर है ताकि बच्चों की प्रभावी भागीदारी, उनसे जुड़े मुद्दों की प्राथमिकता और जी.पी विकास योजनाओं और समग्र पंचायत विकास प्रक्रिया में बच्चों के लिए उपयुक्त बजट के आवंटन के जरिए बाल-हितैषी गांवों को सुनिश्चित किया जा सके।

ग्राम पंचायतों को बाल-हितैषी बनाने और जमीनी स्तर के शासन में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाल-बालिका सभाएं लगातार आयोजित करने और बाल-बालिका पंचायत बनाने की सलाह दी जाती है ताकि ग्राम पंचायत के बच्चों को अपनी क्षमता का उत्तम उपयोग करने योग्य बनाया जा सके।

1. बाल-बालिका सभा एवं बाल-बालिका पंचायत

1.1 बाल-बालिका सभा की परिकल्पना ग्राम पंचायत के किशोर-किशोरियों सहित सभी बच्चों (विशेष कर 10-18 आयु वर्ग) के मंच या 'बाल ग्राम सभा' के रूप में की गई है। जी.पी के सभी बच्चे अपनी समस्याओं, प्राथमिकताओं, संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए औपचारिक ग्राम सभाओं से पहले जी.पी द्वारा आयोजित बाल-बालिका सभाओं के दौरान (वर्ष में 2-3 बार या जैसा राज्य तय करें) मिल-बैठकर चर्चा कर सकते हैं। बाल-बालिका सभाओं का आयोजन ग्राम पंचायत पर या वार्ड स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार किया जा सकता है।

बाल-बालिका सभाओं में लिए गए संकल्पों पर बाद में ग्राम पंचायत की बैठकों और ग्राम सभाओं में चर्चा की जाए ताकि वे स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र/ उपकेंद्र, विभिन्न संबंधित विभागों और स्थानीय सेवावितरण संस्थानों के साथ समन्वय कर कार्रवाई कर सकें और बच्चों को उचित स्तर की सेवाएं, स्वस्थ रूप से जीने की परिस्थिति उपलब्ध कराकर हर प्रकार की हिंसा/दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखे ।

1.2 बाल-बालिका पंचायत अपने सार रूप में एक 'बाल सभा' है जिस में जी.पी की संरचना के अनुरूप सभी वार्डों से चुने गए बाल प्रतिनिधि शामिल होते हैं और बच्चों के विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्रों से संबंधित समितियां होती हैं। बाल-बालिका पंचायत अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए समय-समय पर बैठक कर सकती है, बाल-बालिका सभाओं के संचालन में मदद कर सकती है और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं पर जी.पी के साथ स्थायी आधार पर समन्वय कर सकती है।

2.बाल-बालिका सभाओं और पंचायत के उद्देश्य

- बच्चों को ऐसा मंच देना जिस में वे अपनी समस्याएं पहचानें, इन पर चर्चा करें और अपनी प्राथमिकता तय कर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बता सकें।
- एक सक्षम वातावरण बनाना जहां बच्चे अपने अधिकारों को पहचान सकें और स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
- स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना जिनमें स्कूल जाने और न जाने वाले, विकलांग, प्रवासी और समुदाय के अन्य हाशिएवाले वर्गों सहित सभी बच्चे शामिल हैं।

3.बाल-बालिका सभाओं के संचालन के तौर-तरीके

3.1 बाल-बालिका सभा में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और प्रारंभिक गतिविधियां शुरू करना: बाल सभा के संचालन की तिथि, समय और उद्देश्य की जानकारी ग्राम पंचायत के सभी गाँवों में माइक, पत्र वितरण के जरिए अच्छी तरह से प्रचारित की जाएगी। शुरुआती प्रचार के तहत दीवार लेखन, ढोल बजाना, स्थानीय क्लबों, स्कूलों, सामुदायिक संगठनों (सी.बी.ओ), किशोर समूहों आदि के माध्यम से रैली, जी.पी द्वारा खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को जुटाया जा सके और बाल-बालिका सभा में उनकी रुचि और भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

आस पास के विद्यालयों को भी काफी पहले सूचित करना चाहिए जिससे शिक्षक/प्रधानाध्यापक छात्रों बाल-बालिका सभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन/सलाह दे सकें। ग्राम पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से कहा जा सकता है कि वे बाल-बालिका सभाओं में सक्रिय भागीदारी करने के लिए अपने इलाकों/वार्डों के बच्चों का उत्साह बढ़ाएं।

3.2 समावेशी भागीदारी: बाल-बालिका सभाओं में विकलांग बच्चों, लड़कियों, अनुसूचित जाति (एस.सी)/अनुसूचित जनजाति (एस.टी), अल्पसंख्यक, प्रवासी परिवारों जैसे बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया जा सकता है।

3.3 जी.पी, ग्राम सभा और बाल-बालिका सभा के बीच समन्वय; बालमित्र का चयन : जी.पी 'बाल मित्र' के तौर पर एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन/नामांकन कर सकती है जो खासकर एक सक्रिय महिला (महिला और बाल विकास के लिए जिम्मेदार स्थायी समिति की अध्यक्ष/ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वी.एल.सी.पी.सी) की सदस्य/स्कूल शिक्षक/महिला स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी) की सदस्य/ स्थानीय गैर सरकारी संगठन/नागरिक समाज संगठन की सदस्य) हो सकती है। 'बाल मित्र' का काम जी.पी, ग्राम सभा, बाल-बालिका सभा, बाल-बालिका पंचायत और स्थानीय सेवा वितरण संस्थान के बीच तालमेल बैठाना होगा।

3.4 बाल-बालिका सभाएं: सूचना, जगह, सुविधा, एजेंडा और भागीदारी

3.4.1 जगह: ग्राम पंचायत बाल-बालिका सभाओं का आयोजन ऐसे किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर कर सकती है जहाँ बच्चे आसानी से पहुंच सकें, खुद को सुरक्षित महसूस करें और निडर और बेहिचक होकर अपने मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने में सक्षम हों। ये स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर, सामुदायिक केंद्र/हॉल, स्थानीय स्कूल परिसर, आंगनवाड़ी केंद्र, वगैरह हो सकते हैं। पंचायत को यहां बैठने की उचित व्यवस्था (भेदभाव रहित, हर संभव समान व्यवस्था), साफ पेयजल और शौचालय सुविधा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

3.4.2 सूचना: ग्राम पंचायत को बाल-बालिका सभाओं की तय तिथि की सूचना कम से कम 15 दिन पहले अच्छी तरह प्रचारित/ परिचालित/ अधिसूचित/ घोषित करनी चाहिए। संबंधित विभागों के अधिकारियों को काफी पहले सूचना देकर उनसे बाल-बालिका सभाओं में उपस्थित रहने का अनुरोध करना चाहिए।

3.4.3 भागीदारी:

-जी.पी के सभी बच्चे (विशेष रूप से 10-18 वर्ष के बच्चे), बाल मित्र, जी.पी सदस्य और जी.पी सचिव।

-अन्य आमंत्रित – स्कूली शिक्षक, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वी.एल.सी.पी.सी) के सदस्य, स्कूल प्रबंधन समिति, एकीकृत बाल विकास समिति (आई.सी.डी.एस) के प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सेवा (आशा) प्रतिनिधि, सहायक नर्स मिडवाइफरी ए.एन.एम), पुलिस कर्मी, स्थानीय एन.जी.ओ/सिविल सोसायटी संगठन के सदस्य, माता-पिता आदि।

3.4.4 सुविधा:

ग्राम पंचायत अध्यक्ष या बाल मित्र के समर्थन से बाल-बालिका सभा की अध्यक्षता बाल-बालिका पंचायत अध्यक्ष कर सकते हैं। बाल-बालिका पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बाल-बालिका सभाओं की अध्यक्षता एक बाल प्रतिनिधि (विशेष कर एक बालिका) कर सकती है, जिसका चयन बाल मित्र';महिला और बाल विकास पर स्थायी समिति सदस्य (विशेष कर एक महिला), वी.एल.सी.पी.सी के समर्थन से जी.पी करेगी। बाल-बालिका सभाओं के दौरान बैठने की उचित व्यवस्था और खुलकर चर्चा करने लायक माहौल सुनिश्चित होना चाहिए। यह मंच विशेष रूप से बच्चों के लिए है, इसलिए उन्हें खुलकर अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम करना चाहिए; बैठक में जी.पी सदस्यों, संबंधित विभाग के अधिकारियों, माता-पिता या किसी अन्य का वर्चस्व/प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। माता-पिता बैठक में मौजूद रहेंगे लेकिन उन्हें इसकी कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जी.पी और अन्य समितियों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि बच्चे जब सेवा वितरण में अंतर, अपने साथ भेदभाव जैसी समस्याएं उठाएं तो बाद में इन बच्चों का स्कूल, गाँव या उनके परिवारों में उत्पीड़न न हो।

3.4.5 एजेंडा:

ग्राम पंचायत को बाल-बालिका पंचायतों/बाल प्रतिनिधियों, 'बाल मित्र' और वी.एल.सी.पी.सी का सहयोग लेकर बाल-बालिका सभाओं का एजेंडा तय तिथि से काफी पहले तैयार कर लेना चाहिए।

एजेंडे में ये बातें हो सकती हैं:-

- ग्राम पंचायत अध्यक्ष का स्वागत भाषण।
- बाल-बालिका पंचायत सदस्यों का परिचय।
- बच्चों से जुड़े मुद्दे (स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खेल और मनोरंजन, सुरक्षा और संरक्षा, विकलांग और कमजोर बच्चों से जुड़ी दिक्कतें, कौशल विकास के अवसर, अन्य स्थानीय मुद्दे आदि)।
- संबंधित विभाग के अधिकारियों और जी.पी के उत्तर/समाधान।
- आगामी जी.पी.डी.पी पर चर्चा—प्रमुख कार्य (बच्चों के मुद्दों के समाधान के लिए) जिन्हें जी.पी.डी.पी में शामिल करने की जरूरत है—बजट आवंटन—बिनालागत और कम लागत वाली गतिविधियाँ।
- जी.पी अध्यक्ष की ओर से समापन टिप्पणी।

3.4.6 बैठक का कोरम:

ग्राम सभा में कोरम के जो नियम हैं, वही बाल-बालिका सभाओं के लिए भी अपनाए जा सकते हैं।

3.4.7 बाल-बालिका सभा की कार्यवाही: ग्राम पंचायत सचिव सुनिश्चित करें कि बाल सभा की कार्यवाही ठीक से दर्ज हो, और इसे बाद में ग्राम पंचायत की बैठक और ग्राम सभा में भी रखा जाए ताकि बच्चों पर केंद्रित गतिविधियों पर चर्चा कर के इसे जी.पी.डी.पी में शामिल किया जा सके। बाल-बालिका सभा की उपस्थिति और कार्यवाही मानक ग्राम सभा उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जा सकती है।

3.4.8 बाल-बालिका सभाओं (बैठकों) की बारंबारता:

बाल-बालिका सभाएं (बैठकें) कब-कब करनी हैं, इसे राज्य स्थानीय परिस्थिति के आधार पर तय कर सकते हैं। फिर भी, यह वांछनीय है कि बाल-बालिका सभाएं (बैठकें) साल में 2-3 बार, ग्राम सभा की बैठकों से ठीक पहले जी.पी.डी.पी चक्र के अनुरूप आयोजित की जाएं ताकि बाल सभा के फैसलों को पहले ग्राम सभा में रखा जा सके और फिर आगे जी.पी.डी.पी में शामिल किया जा सके। बाल-बालिका सभाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित तिथियां सुझाई गई हैं

बाल-बालिका सभाओं के लिए सुझाई गईं तिथियां

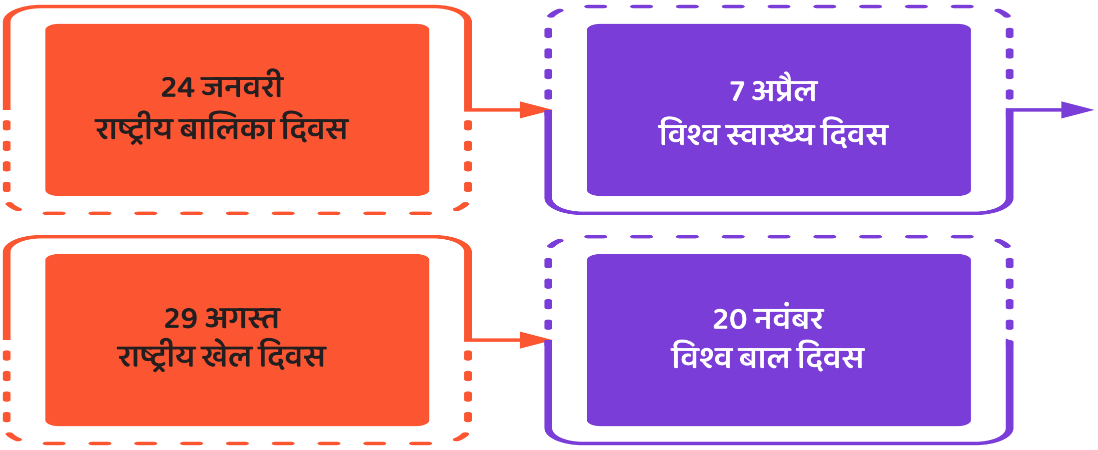

4. बच्चों के लिए धन का प्रावधान

जी.पी.डी.पी के तहत अधिक से अधिक बाल केंद्रित गतिविधियों को धन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारें जी.पी को केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों से मिलने वाले अनुदानों के मुक्त घटकों का इस्तेमाल करने और विभिन्न योजना बद्ध निधियों से बंदोबस्त करने की सलाह दे सकती हैं। बाल-बालिका सभाओं और उसके बाद बाल-बालिका पंचायत की बैठकों के संचालन के लिए ग्राम पंचायत की अपनी निधि,15 वें वित्त आयोग से मिले प्रशासनिक खर्चे या किसी दूसरी उपलब्ध निधि का उपयोग भी किया जा सकता है। पंचायती राज मंत्रलय ने हाल ही में दिनांक 7 फरवरी 2023 को जारी विभागीय आदेश (डी.ओ) के जरिए सलाह दी है कि बाल-बालिका और महिला सभाओं में महिलाओं और बच्चों से जुड़े विभिन्न विषयों पर अभिरुचि जगाने के लिए विशेषज्ञ आमंत्रित किए जा सकते हैं। तदनुसार, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सी.बी.टी) के किसी भी अन्य प्रशिक्षण घटक के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए) की अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में उचित प्रावधान कर सकते हैं।

5.बाल-बालिका पंचायत

5.1 बाल-बालिका पंचायत का गठन

5.1.1 बाल-बालिका पंचायत के सभी चुने हुए सदस्य अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इन में कम से कम एक पद लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा। बाल-बालिका पंचायत में बाल-बालिका पंचायत अध्यक्ष, बाल-बालिका पंचायत उपाध्यक्ष और बाल-बालिका पंचायत सदस्य शामिल होंगे।

5.1.2 बाल-बालिका पंचायत कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य लड़कियां होंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर समूहों का उचित प्रतिनिधित्व बनाए रखा जाएगा। भिन्न रूप से सक्षम एक न एक बच्चे को बाल-बालिका पंचायत सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

5.1.3 बाल-बालिका पंचायत का गठन ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में किया जाएगा। 'बाल मित्र', महिला एवं बाल विकास स्थायी समिति के अध्यक्ष, वी एल.सी.पी.सी के सदस्यों, स्कूल शिक्षकों/प्रधानाध्यापक, जी.पी, यूथ क्लब/समूह के सदस्य, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए..एच.जी/ग्राम-स्तरीय संघ के सदस्य/प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि की सलाह लेकर ग्राम पंचायत अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य अपने हर वार्ड से बाल-बालिका पंचायत के सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

5.1.4 'बाल मित्र' बाल-बालिका पंचायत के उचित काम काज में सहयोग करेगा।

5.1.5 बाल-बालिका पंचायत में सात विषयगत पोर्टफोलियो होंगे, जिसकी अध्यक्षता दो बाल-बालिका पंचायत सदस्य या 'बाल कार्यकर्ता' करेंगे।

सात विषयगत विभाग, जिनकी अगुवाई दो बाल-बालिका पंचायत सदस्य या 'बाल कार्यकर्ता' करेंगे:-

-शिक्षा कार्यकर्ता

- बाल सुरक्षा और संरक्षा कार्यकर्ता
- खेल और संस्कृति कार्यकर्ता
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यकर्ता
- आहार एवं पोषण कार्यकर्ता
- योजना (जी.पी.डी.पी), लैंगिक और सामाजिक न्याय कार्यकर्ता
- संवाद/सामुदायिक जुटान कार्यकर्ता

5.2 बाल-बालिका पंचायत की अवधि: गठन की तिथि से 1 वर्ष।

5.3 बाल-बालिका पंचायत के कार्य:

- बाल अधिकारों, संबंधित सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायत और विभागीय अधिकारों की मदद से बच्चों को जागरूक करना।
- जी.पी.डी.पी में बाल केंद्रित गतिविधियां और उचित बजट प्रावधान शामिल करने के लिए ग्राम पंचायतों की मदद करना।
- बच्चों की समस्याओं और स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मामलों में सेवा वितरण के अंतर को पहचानना और इन मुद्दों पर बाल-बालिका सभाओं में आवाज उठाना।
- समय-समय पर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी प्रारंभिक गतिविधियां आयोजित करने में ग्राम पंचायतों की मदद करना।
- बाल-बालिका सभाओं को सहूलियतें देना और इनमें लिए गए संकल्पों को ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को सौंपना।

- ग्राम पंचायतों के सहयोग से बाल सभाओं में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बच्चों की समस्याएं बताने के लिए ग्राम पंचायतों की मदद से विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से संपर्क करना।

5.4 अपने-अपने विषय के 'बाल कार्यकर्ताओं' के कार्य:

विभिन्न विषयगत बाल कार्यकर्ता बच्चों के सामने संबंधित विषय क्षेत्रों में आ रहे मुद्दों/समस्याओं की पहचान करने में बाल-बालिका पंचायत की मदद करेंगे, इन्हें बाल-बालिका पंचायतों और ग्राम पंचायत की निगाह में भी लाएंगे।

5.5 बाल-बालिका पंचायत की बैठकें:

5.5.1 बाल-बालिका पंचायत की बैठकें दो माह में एक बार होंगी। बाल-बालिका पंचायत अध्यक्ष की ओर से सभी सदस्यों और ग्राम पंचायत को बैठक से 7 दिन पहले सूचना जाएगी। बैठक के संचालन के लिए ग्राम पंचायत स्थान और अन्य इंतजाम करने के लिए जरूरी मदद करेगी।

5.5.2 बैठक में सर्वसम्मति या बहुमत से फैसले लिए जाएंगे। बैठक की कार्यवाही संवाद कार्यकर्ता दर्ज करेंगे।

5.5.3 बैठक का कोरम: बाल-बालिका पंचायत का कोरम दो-तिहाई होगा, अर्थात, अगर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष समेत 15 सदस्य हैं तो कम से कम 10 सदस्यों के उपस्थित होने से कोरम पूरा होगा।

परिशिष्ट 1

बाल-बालिका सभा के संचालन और बाल-बालिका पंचायत के गठन की रोल-आउट योजना ग्राम पंचायत स्तरीय

ग्राम पंचायत स्तरीय

1. थीम-3: 'बाल-हितैषी गांव' को हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में रखने के लिए ग्राम सभा और जी.पी बैठकों में जल्द से जल्द संकल्प लेना।
2. बाल-बालिका सभाओं और बाल-बालिका पंचायत के बारे में सभी ग्राम पंचायत सदस्यों, संबंधित स्थायी समितियों, वी.एल.सी.पी.सी, महिला एस.एच.जी / ग्राम एस.एच.जी समूह, किशोर समूहों/क्लबों, फ्रंटलाइन वर्कर (शिक्षक, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम, आदि), एस.एच.जी फैसिलिटेटर/आरपी, एन.जी.ओ और अन्य सी.बी.ओ के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तरीय एकजुटता कार्यक्रम करना।
3. पहली बाल-बालिका सभा के संचालन एवं बाल-बालिका पंचायत के गठन की घोषणा/ग्राम सभा को सूचना देना।

4. बाल मित्र का चयन: ग्राम पंचायत किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन/नामांकन 'बाल मित्र' के रूप में कर सकती है, जो विशेषकर एक सक्रिय महिला (महिला और बाल विकास के लिए जिम्मेदार स्थायी समिति की अध्यक्ष, या कोई अन्य निर्वाचित सदस्य, या वी एल सी पी सी की सदस्य, या स्कूल शिक्षक, या एक सामाजिक कार्यकर्ता या एक महिला एस एच जी/ग्राम-स्तरीय फेडरेशन सदस्य) होनी चाहिए। 'बाल मित्र' जी.पी, बाल-बालिका सभाओं और बाल-बालिका पंचायत के बीच कड़ी/समन्वयक के रूप में कार्य कर सकता है।

5. बच्चों और किशोर समूहों को संगठित करने के लिए खेल और सांस्कृतिक आयोजन जैसी 'प्रारंभिक गतिविधियों' का संचालन करना और बच्चों को बाल-बालिका सभाओं और बाल-बालिका पंचायत का विचार समझाना। स्कूलों में छात्रों को यह समझाने के लिए शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों से निवेदन किया जा सकता है।

6. बाल-बालिका सभाओं और सक्रिय बाल पंचायतों के गठन में भागीदारी बढ़ाने हेतु स्कूल जाने वाले और इससे बाहर के बच्चों को संगठित करने के लिए स्थानीय स्कूलों के शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों, किशोर समूहों, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना।

7. महिला एस.एच.जी/ग्राम-स्तरीय संघों को एकजुट करना, उनके बच्चे और उनके इलाके के अन्य बच्चे भी बाल-बालिका सभाओं में भागीदारी सुनिश्चित करें।

8. बाल-बालिका पंचायत का गठन सलाहकार समूह की मदद से करना, जिस में 'बाल मित्र', महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष, स्थायी समिति, स्कूल के शिक्षक/ प्रधानाध्यापक आदि शामिल हैं।

9. बैठकों में समावेशी भागीदारी पक्की करने के लिए बाल-बालिका सभाओं के दिन, स्थान, कार्यसूची आदि पर पहले से ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में गहन अभियान (जैसे माइक से मुनादी कर, परचे बांटकर, घर -घर जाकर, आदि)। संबंधित विभागों को सूचित कर बैठकों के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध करना।

10. दिशा-निर्देशों के अनुरूप बाल-बालिका सभाओं का संचालन जिस में बाल-बालिका सभाओं में मदद और कार्यवाही/फैसलों को दर्ज करना शामिल है।

11. बाल-बालिका सभाओं के फैसलों पर जी.पी बैठक और ग्राम सभा में चर्चा करना और प्राथमिकता वाली बाल केंद्रित गतिविधियों को जी.पी.डी.पी में शामिल कर उनके लिए उचित बजट का आवंटन करना।

12. क्रियान्वयन की ताजा प्रगति के बारे में जिला और ब्लॉक अधिकारियों को सूचना देना और यदि बाधाएं हों उन्हें दूर करने का अनुरोध करना।

13. बाल-बालिका पंचायत की दो माह में होने वाली बैठकों के लिए जगह और दूसरी सहूलियत देना और बच्चों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर बच्चों और उनके माता-पिता को जागरूक करने के लिए तालमेल बैठाना।

परिशिष्ट 2
परामर्श सूची

बाल-हितैषी बनने के लिए ग्राम पंचायतों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की परामर्श सूची:-

1.1 बच्चे बचे रहें

- सभी गर्भधारणों, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जांच और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी देखभाल के शीघ्र पंजीकरण को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना।
- 100% संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना।
- 100% जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना और जहां लागू हो वहां, समय पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करना, सुनिश्चित करना।
- ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा के समन्वय से बच्चों की निगरानी करना ताकि माताओं और उनके बच्चों को 100% टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित सेवाओं की सुविधा दी जा सके।
- बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आसानी से सुलभ स्थानों पर आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की स्थापना करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों जैसी स्थानीय संस्थाओं में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता से संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण आदि और इनसे संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों की जागरूकता बढ़ाना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी) की नियमित बैठकें कराना और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वी.एच.एस.एन.डी) या 'आरोग्य दिवस', पोषण अभियान आदि का पालन करना।

1.2 बाल संरक्षण

- गांवों में सघन अभियान चलाकर बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, हिंसा, छेड़छाड़, शारीरिक दंड, हानिकारक प्रथाओं या बच्चों के खिलाफ रीति-रिवाजों जैसी सामाजिक बुराइयां रोकना।
- 'बाल-हितैषी जी.पी', 'कन्या भ्रूण हत्या मुक्त जी.पी', 'बाल श्रम, तस्करी और बाल विवाह मुक्त जी.पी', आदि बनने के लिए जी.पी बैठक/ग्राम सभा/वार्ड सभा में संकल्प लेना।
- बाल तस्करी, बाल श्रम और बच्चों की गुमशुदगी रोकने के लिए स्कूल और अन्य संस्थानों से स्कूल छोड़ने और भिन्न क्षमता वाले बच्चों के साथ ही प्रवासियों, हाथ से मैला ढोने वालों, अनाथों और उन परिवारों के जोखिम ग्रस्त बच्चों की जानकारी जुटाकर निगरानी करना जिनकी मुखिया महिला और बच्चे ही हैं।
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस) के तहत वी.एल.सी.पी.सी के गठन और उचित कामकाज को सुगम बनाना।

- बाल विवाह, बाल श्रम, तस्करी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा आदि को रोकने/रिपोर्ट करने में खासकर युवाओं को शामिल करते हुए ग्राम-स्तरीय सतर्कता समिति/समूहों का गठन करना।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण आदि के किसी भी मामले की सूचना पुलिस को देना।
- ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वी.एल.सी.पी.सी), जिला बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन (1098), आदि की जानकारी और संपर्क नंबरों को प्रसारित/प्रदर्शित करना।
- स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड रोकने के लिए स्थानीय स्कूलों से जुड़ना।

1.3 बाल विकास

- यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन हो और वे यहां पूरक पोषण, टीकाकरण, विकास की निगरानी, स्वास्थ्य संबंधी देखरेख और स्कूल से पहले की पढ़ाई के लिए नियमित रूप से आएं।
- बचपन के शुरुआती दिनों से ही बच्चों की देखभाल और शिक्षा का महत्व बताने के लिए अभिभावकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जागरूकता शिविर लगाकर बच्चों को आई.सी.डी.एस केंद्रों में लाना।
- स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने और स्कूल छोड़ना रोकने के लिए स्थानीय स्कूलों की मदद करने के लिए विशेष अभियान चलाना।
- मिड-डे मील और अन्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ समय-समय पर बातचीत और निगरानी।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के विचार को बढ़ावा देना।
- बच्चों का स्कूल छोड़ना रोकने, 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में आने वाली बाधाओं को दूर करने, विशेष जरूरत वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों के लिए शिक्षकों, ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबंधन समिति, माता-पिता और अन्य के साथ बैठकें/कार्यशालाएं करना।
- स्कूलों में पौधे लगाने, किचन गार्डन और चारदीवारी बनाने, साफ-सफाई करने और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने में मदद करना।
- बच्चों के लिए पार्क, खेल के मैदान विकसित करना।
- विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराकर बाल दिवस, बालिका दिवस आदि मनाना।
- विशेष रूप से गरीब छात्रों के लिए पुस्तक बैंक (नए, पुराने, दान किए गए, आदि)/पाठ्य पुस्तकों/संदर्भ पुस्तकों आदि के पुस्तकालय बनाना।
- पढ़ने में अच्छे बच्चों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर घरों के लड़के-लड़कियों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा करना।
- अपने स्रोतों से मिले राजस्व या सामुदायिक योगदान से गरीब और कमजोर तबके के छात्रों को किताबें और स्टेशनरी देकर मदद करना।

1.4 बच्चों की भागीदारी

- बच्चों के लिए सक्षम माहौल बनाने के लिए बाल-बालिका सभाएं करना और बाल-बालिका पंचायत बनाना ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो और इन्हें प्राथमिकता देकर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में रखा जा सके।
- बच्चों की भागीदारी सुगम बनाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/दिवसों के उत्सवों में शामिल करना।
- बच्चों के लिए जाति, धर्म, लिंग या किसी भी अन्य आधार वाले भेदभाव से मुक्त माहौल देना।
- बच्चों में सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल, विज्ञान और सांस्कृतिक क्लब जैसे विभिन्न क्लब बनाना।
- जी.पी.डी.पी बनाने, क्रियान्वित करने और इसकी निगरानी करने में बच्चों/किशोरों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बाल-बालिका पंचायत/किशोर समूहों के प्रतिनिधियों को पंचायत बैठकों की कार्यवाही देखने-समझने, उनके मुद्दे उठाने और विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना।
- बाल-बालिका सभाओं और बाल बालिका पंचायतों में उठाए गए बाल केंद्रित मुद्दों पर ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (वी.एल.सी.पी.सी) में बच्चों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- बाल-हितैषी माहौल और समावेशी बुनियादी ढांचा (कम ऊंचे शौचालय, नलकूप, बच्चों के लिए सहज-सुगम पार्क, आदि) सुनिश्चित करना।
- स्थानीय सरकार की क्षमता, स्थानीय तौर पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और स्थानीय विकास के लिए उनके संरक्षण के मुद्दे पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय स्कूलों से वकालत करना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

unicef